

## भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 164(B)/15-16

ज्योति महतो बनाम 1. विश्वपति महतो 2. चैतन महतो

:: आदेश ::

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 363 दिनांक 02.05.17 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 164(B)/15-16 से जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस वाद में ज्योति महतो, पति-स्व० हरिहर महतो, ग्राम-केन्दुआ, थाना-सरायकेला, जिला- सरायकेला- खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु 1. विश्वपति महतो 2. चैतन महतो, पिता-नरोत्तम महतो, ग्राम-केन्दुआ, थाना- सरायकेला, जिला- सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर की धारा 46(1)B के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किया है। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दिया गया है।

:: भूमि का विवरण::

<u>मौजा</u>	<u>थाना न०</u>	<u>ख़ाता न०</u>	<u>ख़ैसरा न०</u>	<u>रकवा</u>
महुलपानी	211	73	143	0.15 ए०

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है अंचल अधिकारी सरायकेला द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से पता चलता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पति एवं अन्य के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक के हिस्से में लगभग 4.24 एकड़ जमीन है। जिसमें से 0.15 एकड़ विक्री करने के पश्चात 4.09 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता अपने दखल कब्जा भूमि को विक्री करना चाहते हैं। प्रतिवेदनानुसार विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जिला के रहने वाले जाति महतो (कुर्मी) हैं, जो (पिछड़ा) वर्ग में आते हैं।

उपयुक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.15 एकड़ भूमि विक्री करने की अनुमति दी जाती है

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
सरायकेला।

20-06-17